कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर (छ.ग.)

पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रोजगार कार्यालय के बाजू, राजभवन के पास
दुरभाष नम्बर–0771–4033397 ई.मेल–dwcdraipur@gmail.com,icpsraipur@gmail.com

क्रमांक/4511 /मबावि/आईसीपीएस/मि.वा./2026–27 रायपुर, दिनांक 29/01/26

"विज्ञापन"

मिशन वात्सल्य के योजना अंतर्गत जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन/रेल्वे चाईल्ड हेल्प लाईन पदों पर कर्मचारियों की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना के तहत चाईल्ड हेल्पलाईन संचालन हेतु जारी मानक संचालन प्रकिया अनुसार जिला स्तर पर चाईल्ड हेल्पलाईन युनिट एवं रेलवे स्टेशन पर चाईल्ड हेल्पलाईन डेस्क में विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन पर भर्ती के लिये पात्र आवेदकों से आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से **दिनांक 16/02/2026 सायं 05:00 बजे** तक आमंत्रित हैं। जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन युनिट तथा रेल्वे स्टेशन चाईल्ड हेल्पलाईन डेस्क के पदों हेतु आवेदन कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर को प्रेषित करना होगा। पदों की नियुक्ति एवं आवेदन प्रकिया का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन युनिट में रिक्त पदों का विवरण :–

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रूपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
जिला चाईल्ड हेल्पलाईन युनिट– रायपुर							
1	केस वर्कर	01	00	01	00	02	16,000/–

2. रेल्वे स्टेशन चाईल्ड हेल्पलाईन डेस्क में रिक्त पदों का विवरण :–

क.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन राशि रूपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
जिला चाईल्ड हेल्पलाईन युनिट– रायपुर							
1	केस वर्कर	00	01	00	00	01	16,000/–

3. जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन यूनिट (रेलवे युनिट सहित) हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव :–

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछिनीय योग्तया
1	केस वर्कर	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास हो।	अच्छा संचार दक्षता हो।	–	• अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी। • आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जावेगा।

CamScanner

4. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

5. **आयु सीमा –**

5.1 सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5.1 सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।

5.1 आयु का प्रमाणन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे :–

5.1.1 जन्म प्रमाण–पत्र या

5.1.2 जिस पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं है उनके लिए 8वी की अंकसूची

5.1.3 जिस पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वी कक्षा से अधिक है, उनके लिए 10वीं की अंक सूची।

6. **निवास** :– अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

7. **पदों हेतु आरक्षण** :– संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

9. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

टीप :– कंडिका–01 एवं 02 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

CamScanner

10. अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :–

10.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।

10.2 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

10.3 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

टीप :– आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) का निर्णय अंतिम होगा।

11. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।

12. योजना के अंतर्गत नियुक्त संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगे।

13. नियुक्ति प्राधिकारी :– जिला स्तर पर संचालित होने वाले चाईल्ड हेल्पलाईन यूनिट एवं रेल्वे स्टेशन चाईल्ड हेल्पलाईन डेस्क हेतु स्वीकृत पदों के लिए जिला–कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।

14. अंकीय प्रणाली :– निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होगी :–

14.1 अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 60 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

14.2 निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात् प्रत्येक 01 वर्ष के अनुभव पर 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

14.3 आपातकालीन हेल्पलाईन के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

14.4 उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

14.5 व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनो रखा जायेगा वहां प्रत्येक के लिए 10–10 अंक होंगे।

14.6 अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जावेगी। यदि उम्र भी समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।

CamScanner

15. उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 14 के उप कंडिका 14.1, 14.2 एवं 14.3 पर प्राप्त कुल अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में से प्रत्येक पद के लिए एक अनुपात पांच (1:10) के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।

15.1 जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन युनिट एवं रेलवे चाईल्ड हेल्प डेस्क के पदों में से केस वर्कर के पदों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जावेगा।

15.2 जिला स्तरीय पदों हेतु गठित चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर समग्र प्रावीण्य सूची एवं प्रवर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची में अपने प्रवर्ग में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

15.3 प्रत्येक पद के लिये 25 प्रतिशत अथवा 03 जो भी अधिक हो, अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।

16. नियुक्ति की अवधि :–

16.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 03 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि, जो भी पहले हो, की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।

16.2 चाईल्ड लाईन में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में संविदा सेवा अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) द्वारा संविदा अवधि वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा वृद्धि नहीं किये जाने की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

16.3 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बतायें भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

16.4 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16.5 नियुक्ति के पश्चात भी यदि नियुक्ति संबंधी अर्हताओं एवं शर्तों का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

17. आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :–

17.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

17.2 प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक

CamScanner

का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

17.3 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।

17.4 आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेज़ स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।

17.5 निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

18. चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।

19. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट WWW.raipur.gov.in पर देखी जा सकती है।

20. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई–मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख किया जावे, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।

टीप :–

1. दस्तावेज़ सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
2. व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

29/01/2026

(शैल ठाकुर)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला–रायपुर (छ.ग.)

c:\users\hp\desktop\advartisment dri\03 chl vigyapan.docx

CS CamScanner

जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन/रेलवे स्टेशन चाईल्ड हेल्पलाईन डेस्क हेतु आवेदन का प्रारूप

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला –.. (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन/रेलवे स्टेशन चाईल्ड हेल्पलाईन डेस्क :– ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (अंग्रेजी में) :–..
3. पिता/पति का नाम :– ....
4. स्थायी पता :– ....
   ....
5. (पत्र व्यवहार का पता) :– ....
   ....दूरभाष/मोबाईल..
   ईमेल आईडी :–..
6. जन्मतिथि (अंकों में) :– ....
   (शब्दों में) :–..
7. दिनांक 01/01/2025 को आयु :–..
8. लिंग :– ....
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति .... वर्ग ....
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? :–..
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्तता :– ....
12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि.............................. एवं जीवित बच्चों की संख्या :– ......
13. शैक्षणिक योग्यता :–(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता का विवरण :– ....

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :– ....

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण		वेतन	पद छोड़ने का कारण
		कब से	कब तक		

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं ।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची –

1. जन्म तिथि हेतु 8वी/10वीं की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र
2. 12वीं की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
8. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

1..

2..

3..

4..

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....

घोषणा–पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी जानकारी के अनुसार सही है और यदि ये गलत पायी जाती हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :– ....

दिनांक :–.......................

CS CamScanner